संख्या-76/2018/1847जेएल/22-3-18-800(51)/2015

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
गोण्डा।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त, 2018***

विषय- जिला कारागार, गोण्डा के बंदी क्रान्ति कुमार शुक्ला पुत्र श्री मुक्ति नाथ शुक्ला, निवासी-ग्राम-उसरैना, थाना-कौड़िया, जनपद-गोण्डा को कृषि कार्य हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गोण्डा के बंदी क्रान्ति कुमार शुक्ला पुत्र श्री मुक्ति नाथ शुक्ला, निवासी-ग्राम-उसरैना, थाना-कौड़िया, जनपद-गोण्डा को शासनादेश संख्या-61/2018/1297जेएल/22-3-18-800(51)/2015, दिनांक 17-07-2018 के क्रम में **एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या-76/2018/1847जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोण्डा।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in